<u>फैक्स/विशेष संदेशवाहक/स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2018 दिनांक: 23 जुलाई, 2018

सेवा में

1. मत्रिमंडल सचिव,
   भारत सरकार,
   राष्ट्रपति भवन,
   नई दिल्ली।

2. मुख्य सचिव,
   मेघालय सरकार,
   शिलांग।

3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
   मेघालय,
   शिलांग।

विषय: मेघालय की राज्य विधान सभा में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन-आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन पर अनुदेश-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 23 जुलाई, 2018 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रेनो/51/2018 के द्वारा आयोग ने मेघालय राज्य की 51-दक्षिण तुरा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप निर्वाचन की अनुसूची की घोषणा की है।

2. जिस संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन आयोजित होना है और वह निर्वाचन क्षेत्र जिस जिले (लों) में अवस्थित है, आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग के **दिनांक** 29 **जून,** 2017 **के पत्र सं.** 437/6/**अनुदेश**/2016-**सीसीएस तथा** 18 **जनवरी,** 2018 **के पत्र सं.** 437/6/**विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./एमसीसी/**2017 (प्रतिलिपियां संलग्न) के आंशिक संशोधन की शर्तों के अध्यधीन उन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

3. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

ह./-

(नरेन्द्र एन. बुटोलिया)

प्रधान सचिव

निर्वाचन सदन,

भारत निर्वाचन आयोग

अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस

दिनांक: 29 जून, 2017

सेवा में

1. सभी राज्यों एव संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
2. सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
3. सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।

विषय: आदर्श आचार संहिता-अनुदेश-संसदीय/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के उप-निर्वाचन-तत्संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने मामले की समीक्षा की है और अपने पूर्ववर्ती अनुदेशों में निम्नलिखित संशोधन जारी किए हैं:-

1. **आदर्श आचार संहिता लागू करना**

पत्र सं.437/6/अनुदेश/2012/सीसी एवं बीई, दिनांक 26.04.2012 तथा सं.437/6/अनुदेश/2012/सीसी एवं बीई दिनांक 21.10.2013 में अंतर्विष्ट आयोग के अनुदेशों में संबंधित जिले या संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर आदर्श आचार संहिता की अनुप्रयोज्यता के विभिन्न प्रावधनों की सूची दी गई है। ये अनुदेश इस सीमा तक संशोधित किए गए हैं कि यदि निर्वाचन-क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगर/नगर निगमों में समाहित है तो उपर्युक्त अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन -क्षेत्र के इलाके पर ही लागू होंगे। अन्य सभी मामलों में, आदर्श आचार संहिता उप-निर्वाचन (नों) के लिए नियत निर्वाचन-क्षेत्र को समाहित करने वाले पूरे जिले (लों) पर लागू होगी।

2. **विज्ञापनों का प्रकाशन**

आयोग ने दिनांक 25 जून, 2013 को निदेश दिया कि उप-निर्वाचनों के संबंध में आदर्श आचार संहिता के परिचालन की अवधि के दौरान विज्ञापनों का रिलीज किया जाना/प्रकाशन निम्नलिखित अनुसार विनियमित होंगे:-

(i) महत्वपूर्ण के विशिष्ट अवसरों के संबंध में साधारण प्रकृति के विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकते हैं। हालांकि ऐसे प्रकाशन केवल विशेष अवसरों के साथ घटित होने वाली तारीखों तक सीमित रहेंगे तथा इसे अन्य दिनों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। विज्ञापन पर किसी मंत्री या अन्य राजनैतिक पदाधिकारियों के फोटोग्राफ अंकित नहीं होंगे।

(ii) इस अवधि के दौरान किसी भी तारीख को ऐसा कोई भी विज्ञापन रिलीज/प्रकाशित नहीं किया जाएगा जिसका उप निर्वाचन वाले निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों के प्रति कोई विनिर्दिष्ट/सुस्पष्ट संदर्भ या लक्ष्य हो।

इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उन जिलों में, जहां पर उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहे है कोई भी नई योजना का विज्ञापन नहीं किया जाएगा। (उपर्युक्त उप-पैरा (ii) संशोधित है)

3. <u>मंत्रियों के दौरे</u>

किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र, चाहे वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हो या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, से उप-निर्वाचनों के दौरान मंत्रियों के दौरे के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2007 को जारी किए गए अनुदेश के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं। जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध किया गया है कि

(i) सभी मंत्री, चाहे वे केन्द्रीय मंत्री हों या राज्य के, उप-निर्वाचनों की घोषणा के बाद अपने आधिकारिक दौरों को, किसी भी तरीके से, निर्वाचन-कार्य के साथ नहीं जोड़ेंगे। जिस/जिन जिले (लों) में उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहें है और जहां इस कारण से आदर्श आचार संहिता लागू है, उनमें सभी और कोई भी यात्रा पूर्णतया निजी प्रकृति की होगी।

(ii) ऐसे मामले में जिसमें आधिकारिक कार्य पर यात्रा कर रहे मंत्री, शासकीय विजिट पर किसी अन्य जिले के लिए उस जिले (जिलों) के माध्यम से गुजरते हैं जिसमें उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं तो वे किसी भी राजनीतिक कार्य में भाग नहीं लेंगे।

इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्री या समतुल्य रैंक/हैसियत धारण करने वाले व्यक्ति सरकारी उद्देश्यों वाली अपने सरकारी यात्रा को, उस स्थान जहां आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है, से होकर ऐसे स्थान जहां निर्वाचन प्रचार के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है, के लिए मार्ग-निर्धारित करके संयोजित नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो सम्पूर्ण यात्रा व्यय, निर्वाचन व्यय समझा जाएगा। (उपर्युक्त उप पैरा (ii) संशोधित होता है)

4. <u>अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती के संबंध में</u>

ऐसे सभी अधिकारियों के लिए, जो राज्य में उप-निर्वाचन के संचालन से जुड़े हुए हैं, स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन पर भारत निर्वाचन आयोग के विद्यमान अनुदेश संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू होंगे। इस नीति को लागू करते समय डीईओ/आरओ को ध्यान रखना चाहिए कि निर्वाचन संबंधी किसी ड्यूटी के लिए निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के किसी अधिकारी की तैनाती भी आयोग की स्थानांतरण नीति के समनुरूप होगी।

5. <u>महंगाई भत्ते (डी.ए.) की घोषणा के संबंध में</u>

उप-निर्वाचन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का ऐसा कोई अनुदेश नहीं है जिसमें राज्य सरकारों को ऐसे निर्णय लेने से रोका जाए जिसका राज्यव्यापी और परिणामत: संबंधित निर्वाचन क्षेत्र पर प्रभाव हो।

इस संबंध में सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, आयोग ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (डी.ए.) की घोषणा एक रूटीन कामकाज के रूप में की जा सकती है परन्तु इसका सरकार की उपलब्धि के रूप में प्रचार-प्रसार नहीं किया जाना चाहिए।

कृपया सभी संबंधितों को सूचित करें तथा यथोचित प्रचार-प्रसार करें और अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ह./-
(आर.के.श्रीवास्तव)
वरि. प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. **437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2017** **दिनांक : 18 जनवरी, 2018**

सेवा में

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: उप - निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में स्पष्टीकरण- तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे, आदर्श आचार संहिता के संबंध में आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के पत्र संख्या 437/6/अनु/ 2016-सीसीएस को संदर्भित करने का निदेश हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि यदि निर्वाचन क्षेत्र, राज्य की राजधानी/मेट्रोपोलिटन शहरों/ नगर-निगमों में आता है तो आदर्श आचार संहिता के अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। अन्य मामलों में उपर्युक्त अनुदेश उप-निर्वाचन(नों) वाले निर्वाचन क्षेत्र को कवर करने वाले संपूर्ण जिले(लों) में लागू होंगे। (सुलभ संदर्भ के लिए प्रति संलग्न)

इस संबंध में, राजस्थान में अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण कि क्या अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आगामी उप-निर्वाचनों के दौरान एमसीसी को पूरे जयपुर में लागू किया जाना चाहिए या केवल जयपुर के दूदू विधान सभा सैग्मेंट में क्योंकि जयपुर में राज्य की राजधानी, नगर-निगम, मेट्रोपोलिटन शहर तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्र हैं। आयोग ने मामले पर विचार किया और स्पष्ट किया कि जयपुर जिले में सामान्य प्रशासनिक कार्य की अव्यवस्था/अशांति से बचने के लिए एमसीसी को जयपुर जिले के केवल दूदू विधान सभा में ही लागू किया जाएगा।

अत:, अब आयोग ने निर्णय किया है कि उपर्युक्त निदेश राज्य की राजधानी/मेट्रोपोलिटन शहरों नगर-निगमों वाले क्षेत्रों में देश में भावी सभी उप-निर्वाचनों में लागू होंगे। तद्नुसार, कोई भी जिला जिसमें निगम/मेट्रो/नगर-निगम अवस्थित हैं, एमसीसी को उस विशेष विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वाले भाग में ही लागू किया जाएगा न कि पूरे जिले में।

भवदीय

ह./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

प्रधान सचिव